न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी :बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 12/2020 (प्राथमिक डिक्री)

अपीलांट

1. घेवर पुत्र श्री दौला उम्र 70 वर्ष, ग्राम बचरडी तहसील रायपुर जिला पाली।
2. बुद्धाराम पुत्र घेवरराम उम्र 42 वर्ष, पता 78 शेखावत नगर, पुनायता रोड, पाली
3. हीराराम पुत्र श्री घेवरराम उम्र 38 वर्ष ग्रम बिचरडी तहसील रायपुर जिला पाली।
4. हेमराज पुत्र श्री घेवरराम उम्र 35 वर्ष, निवासी 19 शेखावत नगर पुनायत रोड पाली।
5. रतना पुत्र श्री पोकर उम्र 75 वर्ष, ग्राम बिचरडी, तहसील रायपुर जिला पाली।
6. हडमान पुत्र घेवरराम उम्र 40 वर्ष, ग्राम बिचरडी तहसील रायपुर जिला पाली

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. गुला पुत्र दौला के वारिसान
   1/1 मदनलाल पुत्र गुला
   1/2 रूपाराम पुत्र गुला
   1/3 कुन्नाराम पुत्र गुला
   1/4 मोतीलाल पुत्र गुला
   1/5 श्यामलाल पुत्र गुला जातिगण कुमावत निवासीगण बिचरडी, तहसील रायपुर जिला पाली (राज)
2. गोमा पुत्र दई के वारिसान
   2/1 ओगडराम पुत्र गोमाजी
   2/2 सुराराम पुत्र गोमाजी
3. पूना पुत्र पोकर के वारिसान
   3/1 दीपाराम गोदपुत्र पूनाजी
4. जोरा पुत्र हरजी
5. लच्छा पुत्र श्री हरजी के वारिसान
   5/1 प्रेम गोदपुत्र लच्छाजी
6. घेवर पुत्र हरजी के वारिसान
   6/1 चम्पालाल पुत्र घेवरजी
7. लाबू पुत्र भेरा
8. गेना पुत्र नवला
9. मगा पुत्र नवला
10. जेगा पुत्र नवला
11. नारायण पुत्र मोटा
12. चम्पा पुत्र मोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

13. गटूडी पत्नी मोटा जातिगण कुमावत निवासीगण बिचरडी तहसील रायपुर जिला पाली
14. भूमिधारी तहसीलदारजी रायपुर
15. शाखा प्रबंधक एस.बी.बी.जे रायपुर
16. शाखा प्रबंधक, मारवाड ग्रामीण बैंक रायपुर जिला पाली।

अपील संख्या : 10/2020 (अंतिम डिक्री)

अपीलांट

1. घेवर पुत्र श्री दौला उम्र 70 वर्ष, ग्राम बचरडी तहसील रायपुर जिला पाली।
2. बुद्धाराम पुत्र घेवरराम उम्र 42 वर्ष, पता 78 शेखावत नगर, पुनायता रोड, पाली
3. हीराराम पुत्र श्री घेवरराम उम्र 38 वर्ष ग्रम बिचरडी तहसील रायपुर जिला पाली।
4. हेमराज पुत्र श्री घेवरराम उम्र 35 वर्ष, निवासी 19 शेखावत नगर पुनायत रोड पाली।
5. रतना पुत्र श्री पोकर उम्र 75 वर्ष, ग्राम बिचरडी, तहसील रायपुर जिला पाली।
6. हडमान पुत्र घेवरराम उम्र 40 वर्ष, ग्राम बिचरडी तहसील रायपुर जिला पाली

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. गुला पुत्र दौला के वारिसान
   1/1 मदनलाल पुत्र गुला
   1/2 रूपाराम पुत्र गुला
   1/3 कुन्नाराम पुत्र गुला
   1/4 मोतीलाल पुत्र गुला
   1/5 श्यामलाल पुत्र गुला जातिगण कुमावत निवासीगण बिचरडी, तहसील रायपुर जिला पाली (राज)
2. गोमा पुत्र दई के वारिसान
   2/1 ओगडराम पुत्र गोमाजी
   2/2 सुराराम पुत्र गोमाजी
3. पूना पुत्र पोकर के वारिसान
   3/1 दीपाराम गोदपुत्र पूनाजी
4. जोरा पुत्र हरजी
5. लच्छा पुत्र श्री हरजी के वारिसान
   5/1 प्रेम गोदपुत्र लच्छाजी
6. घेवर पुत्र हरजी के वारिसान
   6/1 चम्पालाल पुत्र घेवरजी
7. लाबू पुत्र भेरा
8. गेना पुत्र नवला

9. मगा पुत्र नवला
10. जेगा पुत्र नवला
11. नारायण पुत्र मोटा
12. चम्पा पुत्र मोटा
13. गटूडी पत्नी मोटा जातिगण कुमावत निवासीगण बिचरडी तहसील रायपुर जिला पाली
14. भूमिधारी तहसीलदारजी रायपुर
15. शाखा प्रबंधक एस.बी.बी.जे रायपुर
16. शाखा प्रबंधक, मारवाड ग्रामीण बैंक रायपुर जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री चन्द्रप्रकाश वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 05
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 14 की ओर से
4. शेष रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 01/03/2024

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 95/2008 (57/2008) बउनवान गुला वगैरा बनाम घेवर वगैरा में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 05.08.2011 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 24.02.2012 (संशोधित दिनांक 22.06.2012) को अपास्त कराने का निवेदन किया। म्याद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी/रेस्पोडेन्ट गुला पुत्र दौला व उसके पुत्र अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी ग्राम बिचरडी के खसरा नंबर 6, 7, 8, 9, 10 कुल रकबा 89 बीघा 1 बिस्वा के संबध में प्रस्तुत कर बंटवाडा कराने व स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 05.08.2011 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 24.02.2012 (संशोधित दिनांक 22.06.2012) पारित की गई है। ज़ो कि विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट जो पाली में वर्षो से निवास कर रहे है जो

पाली होने की जानकारी वादी को होते हुए उनके सम्मन उनके निवास पते पर तामिल कराये बिना फर्जी तरीके से घेवर के अगुष्ठ निशान करवाकर उन्हे तामिल से वंचित करने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 05 व उसके सहयोगी विरदाराम ने तहसील सवार से मिलकर फर्जी व कूटरचित अगुष्ठ निशान कर एवं प्रक्रिया संहित के आदेश 5 नियम 17 की पालना किये बिना फर्जी तामिल की कार्यवाही करवाई गई। जबकि वाद में प्रतिवादी मगा पुत्र नवला जिसकी तामिल उसकी नाबलिग 8 वर्षीय पुत्री अन्नु के बनावटी हस्ताक्षर किये तथा प्रतिवादी नारायण पुत्र मोटा के राजूदेवी पत्नी के तथा गटूडी पत्नी मोटराम व जोगाराम पुत्र नवला, मगा पुत्र नवला, गेना पुत्र नवला रतना पुत्र पोकर के फर्जी व कूटरचित अगुष्ठ निशान कर तामिल की कार्यवाही की गई, जबकि उक्त समस्त पक्षकारो को न्यायालय के कोई नोटिस व सम्मन प्राप्त नहीं हुए। अपीलांट व उक्त समस्त पक्षकारो को न्यायिक प्रक्रिया की कोई जानकारी नहीं थी। उक्त वाद दिनांक 11.07.2008 की आदेशिका से दिनांक 03.07.2008 को रायपुर न्यायालय को भिजवाया गया तथा दिनांक 15.07.2008 की आदेशिका अनुसार वादी व न्यायालय द्वारा प्रतिवादी अपीलांट पक्षकार को कोई सम्मन नोटिस नहीं भिजवाये गये तथा दिनांक 27.02.2009 की आदेशिका पर अपीलांट घेवर के फर्जी अगुष्ठ निशान किये गये। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट एवं अन्य रेस्पोडेन्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया, वह मिन्ट्स एण्ड बाण्उड्स नहीं किया गया एवं न ही तहसीलदार रायपुर मौके पर उपस्थित होकर विधिवत बंटवाड के संबध में कोई कार्यवाही की गई। पक्षकारो को मौके पर तलब नही किया गया न ही नोटिस दिया गया। तहसीलदार रायपुर द्वारा राजस्व मंडल के नियम 18 से 21 की कोई पालना नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत बंटवाडा रिपोर्ट राजस्व मंडल के नियम 18 से 21 की पालना किये बिना बनाई गई, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जो कि विधिसम्मत नही है। धारा 5 म्याद अधिनियम पर वकील अपीलांट पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की जानकारी तब हुई जब जिस भू–भाग पर अपीलांट की फसल खडी है उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की नियत से रेस्पोडेन्ट कुन्नाराम दिनांक 02.01.2020 को मौके पर आये तथा अपीलांट की बोई हुई फसल को जबरन काटने की धमकी दी उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड व नक्शे में अपने नाम दर्ज होने की बताई, तब अपीलांट ने तत्काल हल्का पटवारी से दिनांक 03.01.2020 को जमाबंदी की नकले प्राप्त की, तत्पश्चाता तहसील कार्यालय में जाकर दिनांक 14.01.2020 को जमाबंदी व नामान्तरण की नकले प्राप्त की, जिसमे दर्ज अनुसार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी होने पर अपीलांट ने नकलो हेतु आवेदन दिनांक 14.01.2020 को प्रस्तुत किया तथा नकले प्राप्त की तथा अन्य नकलो हेतु दिनांक 22.01.2020 को आवेदन प्रस्तुत किया जो नकले दिनांक 23.01.2020 को प्राप्त हुई, उसके पश्चात उक्त अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण के नोटिस विधिवत रूप से तामिल नहीं करवाये गये, जिसके कारण अपीलांटगण को वाद के संबध में जानकारी नहीं हो पाई। अत अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

कर अपीलांट की प्राथमिक अपील अंदर म्याद शुमार की जावे। एवं अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री व अंतिम निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि वादी/रेस्पोडेन्ट गुला पुत्र दौला व उसके पुत्र अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी ग्राम बिचरडी के खसरा नंबर 6, 7, 8, 9, 10 कुल रकबा 89 बीघा 1 बिस्वा के संबध में प्रस्तुत कर बंटवाडा कराने व स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 05.08.2011 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 24.02.2012 (संशोधित दिनांक 22.06.2012) पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण को विधिवत सम्मन जारी किये गये जो सम्मन अपीलांटगण को तामिल होकर अधीनस्थ न्यायालय में प्राप्त हुए, जिसमे अपीलांट घेवर स्वंय न्यायालय मे जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांटगण को वाद की कार्यवाही की पूर्ण जानकारी थी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण के सम्मन विधिवत रूप से उनके निवास स्थान पर तामिल करवाये जाने के बावजूद अपीलांटगण न्यायालय में शाम 4.30 बजे तक अपीलांटगण या उनकी ओर से कोई अधिवक्तागण उपस्थित नही आये, उसके पश्चात अपीलांटगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्राथमिक बंटवाडा की डिक्री की कार्यवाही के दौरान भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए न ही मौके पर वक्त बंटवाडा उपस्थित हुए यानि न्यायिक प्रक्रिया का प्रतिरोध नहीं किया। हल्का पटवारी व तहसीलदार द्वारा पक्षकारो के पुराने बंटवाडा अनुसार राजस्व मंडल के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना कर मौके की रिपोर्ट नजरी नक्शा तैयार की गई। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट बुद्धाराम, हेमाराम, हीरालाल को विधिवत तामिल कराई गई तथा तामिल होने के बावजूद अपीलांट के पिता न्यायालय में हाजिर हुए तथा अपीलांट के पिता के निवेदन पर वाद में तारीख पेशी नजदीक दी गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष समस्त प्रतिवादीगणो के सम्मन तामिल रिपोर्ट पर उनके हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान किये हुए है। अपीलांटगण को वाद की कार्यवाही की समस्त जानकारी होने के बावजूद 8 वर्ष देरी से उक्त अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है जो कि क्षमा योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर राजस्व मंडल के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए तैयार की गई मौका रिपोर्ट के आधार पर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। वादी/रेस्पोडेन्ट गुला पुत्र दौला व उसके पुत्र अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 92ए

अपील संख्या 10/2020
अपील संख्या 12/2020
घेवर वगैरा बनाम **गुला के का.मु. मदनलाल वगैरह**
पेज संख्या 6/7

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी ग्राम बिचरडी के खसरा नंबर 6, 7, 8, 9, 10 कुल रकबा 89 बीघा 1 बिस्वा के संबध में प्रस्तुत कर बंटवाडा कराने व स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 05.08.2011 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 24.02.2012 (संशोधित दिनांक 22.06.2012) पारित की गई है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी गुला पुत्र दौला द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 29.02.2008 को अपीलांटगण को न्यायालय की ओर से सम्मन जारी किया गया। जो कि अपीलांटगण के पिता घेवर द्वारा तामिल प्राप्त हुए एवं अपीलांट रतना पुत्र पोकर का सम्मन स्वंय द्वारा तामिल प्राप्त हुआ एवं साथ ही पेशी दिनांक 27.02.2009 को वादी घेवर स्वंय न्यायालय में उपस्थित हुआ एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन बंटवाडे के वाद के संबध में जानकारी प्राप्त हो गई थी। किन्तु अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट जानबूझकर उपस्थित नहीं हुए। उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में अपीलांटगण या उनके अधिवक्ता दिनांक 15.07.2011 तक उपस्थित हुए, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.07.2011 को अपीलांटगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने का आदेश पारित किया गया। एवं दिनांक 05.08.2011 को वादी की बहस सुनी जाकर विधिसम्मत तरीके से प्राथमिक निर्णय व डिक्री का आदेश पारित कर तहसीलदार रायपुर को बंटवाडा प्रस्ताव मंगवाये जाने हेतु आदेशित किया गया। उसके पश्चात पत्रावली निरन्तर पालना रिपोर्ट हेतु नियत रही। उसके पश्चात दिनांक 08.02.2012 को तहसीलदार रायपुर द्वारा अपने पत्रांक/राजस्व/2011/2279 दिनांक 19.12.2011 के अनुसार बंटवाडा रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमे हमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। एवं जहां तक अपीलांटगण के सुनवाई का अवसर दिये जाने का प्रश्न है तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण को जारी सम्मन अपीलांटगण के पिता घेवर एवं रतना का सम्मन स्वंय रतना से तामिल प्राप्त हुआ, जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांटगण को वाद की पूर्णतया जानकारी थी, किन्तु वे जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुए। अपीलांटगण द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री व अंतिम निर्णय व डिक्री के विरूद्ध उक्त अपील 8 वर्ष देरी से प्रस्तुत की है एवं अपील को म्याद शुमार करने हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आर0आर0टी0 2015 (1) पेज 232 भानूप्रतापसिह बनाम श्रीमति घनश्याम कुमारी व अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963–धारा 5– सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 – धारा 96 – विलम्ब का शमन – अपील पेश करने के 271 दिनों का विलम्ब – विभाजन तथा कब्जा हेतु वाद – 271 दिनों के विलम्ब के लिये सम्याभासी कारण नही बताया गया। मियाद बाधित होने से अपील खारिज की गई।" इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 1331 में प्रतिपादित किया कि परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 5 – विलम्ब का शमन, एस.एल.पी. पेश करने में 481 दिनों का विलम्ब – आधार लिया कि पत्रावली के एक विभाग/अधिकारी से दूसरे में आने के

कारण विलम्ब हुआ, पर्याप्त एवं ठोस आधार नही– विलम्ब शमन हेतु मामला नहीं बनता है।" इसी प्रकार आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 1349 में माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की है कि "परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 5, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, धारा 224 – अपील पेश करने में 9 वर्ष का विलम्ब – प्रथम अपील भी कालबाधित थी, प्रत्येक तारीख पर उपस्थित होकर अपने मामले की जानकारी रखना मुवक्किल का दायित्व है। वाद भी एकपक्षीय डिक्री हुआ, अपीलाण्ट के वकील को सुनने के बाद प्रथम अपील निर्णित की। विलम्ब हेतु सन्तोषप्रद स्पष्टीकरण नहीं, निर्णित, आवेदन व अपील खारिज होने योग्य है।" हस्तगत प्रकरण अपीलांटगण द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री व अंतिम निर्णय व डिक्री के विरूद्ध उक्त अपील 8 वर्ष देरी से प्रस्तुत की है, जबकि दिनांक 29.02.2008 को अपीलांटगण को न्यायालय की ओर से सम्मन जारी किया गया। जो कि अपीलांटगण के पिता घेवर द्वारा तामिल प्राप्त हुए एवं अपीलांट रतना पुत्र पोकर का सम्मन स्वंय द्वारा तामिल प्राप्त हुआ एवं साथ ही पेशी दिनांक 27.02.2009 को वादी घेवर स्वंय न्यायालय में उपस्थित हुआ एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट गुला द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन बंटवाडे के वाद के संबध में पूर्ण जानकारी थी, किन्तु अपीलांटगण द्वारा इस संबध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम में कोई उल्लेख नहीं किया है। साथ ही उक्त विलम्ब के संबध मे धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र में कोई यथोचित कारण दर्शित नहीं किया है। जिससे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 परिसीमा अधिनियम प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण बावजूद सूचना जानबूझकर उपस्थित नही हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री में राजस्व मंडल के नियम 18 से 21 की पालना कर विधिवत रूप से तैयार की गई मौका रिपोर्ट के आधार पर पारित की गई है। जिसमे हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 12/2020 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील 12/2020 अपील को अन्दर म्याद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं से खारिज की जाती है। तथा सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 95/2008 (57/2008) बउनवान गुला वगैरा बनाम घेवर वगैरा में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 05.08.2011 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 24.02.2012 (संशोधित दिनांक 22.06.2012) को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 07/03/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली